

“बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (जिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

रायपुर; सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2006—फाल्गुन 22, शक 1927-

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2006

अधिसूचना

फा. क्र. 2235/डी-76/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2006) की धारा-1 की उपधारा (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, 13 मार्च, 2006 को उस तारीख के रूप में नियंत्रित करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

F. No. 2235/D-76/21-A/Drafting/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (iii) of Section 1 of the Code of Criminal Procedure (Chhattisgarh Amendment) Act, 2005 (No. 13 of 2006) the State Government hereby appoint the 13th March, 2006 as the date on which the said Act shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2006)

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू होने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2005 है।
(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
(तीन) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में के न्द्रीय अधिनियम (क्र. 2 सन् 1974) का संशोधन।

धारा 167 का संशोधन।

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए।

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द “किसी” के स्थान पर शब्द “पुलिस” स्थापित किया जाए।

- (2) मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (ख ख) जोड़ा जाए, अर्थात् :-

“(ख ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन पुलिस अभियुक्त व्यक्ति को निरोध, तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उसके समक्ष पेश नहीं किया जाता एवं उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता।”

- (3) स्पष्टीकरण 2 में शब्द “पेश किया गया था” के पूर्व शब्द “पुलिस अभिक्षा से” जोड़ा जाए।

- (4) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, -

“3. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति, पुलिस अभिक्षा से भिन्न व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था जैसा कि पैरा “(ख ख)” के अधीन अपेक्षित है तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके या उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर से सिद्ध किया जा सकता है।”

धारा 228 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 228 की उपधारा (2) में शब्द “अभियुक्त को” के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाए, अर्थात् :-

“व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थित होने एवं उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किये जाने पर”

धारा 240 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) में शब्द “अभियुक्त को” के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाए, अर्थात् :-

“न्यायालय में उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थित होने पर”

6. मूल अधिनियम की धारा 251 में शब्द “अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है” के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाए, अर्थात् :-

धारा 251 का संशोधन.

“या न्यायालय में उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थित होता है”

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2006

फा. क्र. 2235/डी-76/21-अ/प्राप्ति/छ.ग./06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2006) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत राय, अंतिरिक्त सुचिव.

**CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2006)**

**THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CHHATTISGARH AMENDMENT)
ACT, 2005**

An Act further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the fifty sixth year of the Republic of India as follows :—

1. (i) This Act may be called the Code of Criminal Procedure, (Chhattisgarh Amendment) Act, 2005.

Short title, extend and Commencement.
- (ii) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (iii) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint.
2. The Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) (hereinafter referred to as the Principal Act); shall in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Central Act (No. 2 of 1974) its application to the State of Chhattisgarh.
3. (1) In clause (b) of sub-section (2) of section 167 of the Principal Act, for the words “any” the words “police” shall be substituted.

Amendment of Section 167.
- (2) After clause (b) of sub-section (2) of section 167 of the Principal Act, the following new sub-clause (bb) shall be added, namely :—

“(bb) No magistrate shall authorise detention of the accused person other than in the custody of the police under this section unless the accused is produced before him either in person or through the medium of electronic video linkage and represented by his pleader in the court.”

- (3) In explanation II, after words "was produced" the words "from police custody" shall be added.
- (4) After explanation II, the following new explanation shall be added,-
- * III. If any question arises whether an accused person was produced from otherwise than in the custody of the police in person or (as the case may be) through medium of electronic video linkage before the Magistrate as required under paragraph (bb), the production of the accused person may be proved by his or his pleader's signature on the order authorising detention."

Amendment of section 228.

4. In sub-section (2) of section 228 of the Principal Act, after the word "to the accused" the following shall be added, namely:-

"present in person or through the medium of electronic video linkage and being represented by his pleader in the court."

Amendment of section 240.

5. In sub-section (2) of section 240 of the Principal Act, after the words "the accused" the following shall be added :-

"Present either in person or through the medium of electronic video linkage in the presence of his pleader in the court."

Amendment of section 251.

6. In section 251 of the Principal Act, after the words "brought before the Magistrate" the following words shall be added :-

"Or appears through the medium of electronic video linkage in the presence of his pleader in the Court."